Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2016 (ASVINA 27, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अक्तूबर, 2016

संख्या 13/1/2015–3टी0(1).— हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 65 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिसमें इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित, जो सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (–संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में, नियम 33 क में, (i) चतुर्थ परन्तुक में, अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा (ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि किसी भी श्रृंखला में, साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, पंजीकरण चिह्न के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्न को सम या विषम चिह्न में बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को केवल दो हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा:

परन्तु यह और कि किसी भी श्रृंखला में, साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, अपनी पसन्द के पंजीकरण चिह्न को सम या विषम चिह्न में बदलाना चाहता है, तो वाहन स्वामी को चालू श्रृंखला में बिना बारी की श्रेणी के अधीन प्रभार्य शुल्क के अतिरिक्त दो हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा:

परन्तु यह और कि साधारण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, किसी भी श्रृंखला में, अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखना चाहता है, तो वाहन स्वामी को अधिमान्य पंजीकरण चिह्न के लिए नियम विहित शुल्क के अतिरिक्त दो हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा:

परन्तु यह और कि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, उसी श्रेणी के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्न बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को केवल दो हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा:

परन्तु यह और कि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, किसी भी श्रृंखला में, अपनी पसन्द का दूसरा अधिमान्य पंजीकरण चिह्न बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को बिना बारी की श्रेणी के अधीन प्रभार्य शुल्क के

अतिरिक्त दो हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। तथापि, अधिक शुल्क रखने वाले अधिमान्य पंजीकरण चिह्न की पसन्द की दशा में वाहन स्वामी को फीस के अन्तर का भी भुगतान करना होगाः

परन्तु यह और कि यदि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाले वाहन स्वामी का वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उपयोग करने योग्य नहीं रहता है, तो सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी वाहन स्वामी के अनुरोध पर घटना की तिथि से छह मास के लिए, उस समय लागू नियमों के अनुसार, पंजीकरण चिह्न को वाहन स्वामी के वाहन पर उसे लगवाने के लिए रख सकता है। तथापि, छह मास की अवधि की समाप्ति के बाद, वाहन स्वामी उस अधिमान्य चिह्न को रखने के लिए कोई भी अधिकार नहीं रखेगा।"

एस० एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 19th October, 2016

No. 13/1/2015-3T(1).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section(1) read with Sub-section(2) of Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section(1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, with respect to the draft rules, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Transport Department, Chandigarh, before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (-Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 33A, (i) in the explanation to fourth proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; (ii) after the explanation, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided further that a vehicle owner having ordinary odd or even mark, in any series, wants to change the registration mark in even or odd mark without choice of registration mark then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- only:

Provided further that a vehicle owner having odd or even mark, in any series, wants to change the registration mark in even or odd mark of his choice then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the fee chargeable under the out of turn category:

Provided further that a vehicle owner having ordinary mark, wants to have preferential registration mark, in any series, then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the prescribed fee fixed for the preferential registration mark:

Provided further that a vehicle owner having preferential registration mark, wants to change to registration mark without choice of the same category then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- only:

Provided further that a vehicle owner having preferential registration mark, wants to change to another preferential registration mark of his choice, in any series, then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the fee chargeable under the out of turn category. However, in case of choice of preferential registration mark having higher fee then a vehicle owner shall have to pay the difference of fee also:

Provided further that in case, the vehicle of a vehicle owner having preferential registration mark gets completely damaged and is rendered in capable of being used, then the concerned Registering Authority may on the request of the vehicle owner retain the registration mark for 6 months from the date of the incident for affixation of the same on vehicle of the owner as per the rules in force at that time. However, after the expiry of 6 months the vehicle owner shall have no claim for retaining the preferential registration mark."

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

54713—C.S.—H.G.P., Chd.